तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.11.2024	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 22 नियम 04 पर पेश हुयी। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि प्रकरण में रैस्पो0 संख्या 7 की दिनांक 22.01.2017 को हो चुकी है। अपीलाण्ट ने दिनांक 13.02.2017 को मृतक रैस्पो0 के विधिक वारिसान की कार्यवाही कायम मुकाम की जा चुकी थी। परन्तु बाद में पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गयी। तत्पश्चात दिनांक 31.07.2024 को पुनः कार्यवाही कायम मुकाम की गयी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी के लिये धारा 5 का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। पक्षकार ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, मृतक रैस्पो0 संख्या 07 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। वकील रैस्पो0 का कथन है कि प्रार्थना पत्र 22 नियम 04 लगभग 7 साल बाद प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थना पत्र में एवेट को निरस्त कराने की कोई प्रार्थना नहीं की गयी है। अतः अपील स्वतः ही 90 दिवस बाद एवेट हो जाती है। अपीलाण्ट दिनांक 13.02.2017 को प्रार्थना पत्र कायम मुकाम प्रस्तुत करने का कथन करते हैं। परन्तु प्रकरण में दिनांक 13.02.2017 की कोई पेशी ही नहीं है। प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण स्पष्ट नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलाण्ट जरिये एवेज में खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अभिभाषक स्वयं रैस्पो0 संख्या 07 की मृत्यु दिनांक 22.01.2017 को होना एवं मृतक रैस्पो0 संख्या 07 की कायम मुकाम कार्यवाही दिनांक 13.02.2017 को होना कथन करते हैं। रैस्पो0 अभिभाषक इसका खण्डन करते हैं। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। मूल अपील पत्रावली न्यायालय हाजा से दिनांक 16.07.2014 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी थी। जिसे नम्बर पर लेने के लिये प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 31.05.2018 को बाजवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, **जो दिनांक 28.07.2023 को न्यायालय हाजा से स्वीकार होकर मूल अपील नम्बर पर ली गयी। अतः अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क कि उनके द्वारा मृतक रैस्पो0 संख्या 07 की कायम मुकाम कार्यवाही दिनांक 13.02.2017 को कर दी गयी थी, तर्कसंगत एंव विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा प्रकरण में दिनांक 13.02.2017 को ना तो तारीख पेशी ही नियत रही है एवं ना ही उक्त दिनांक का कोई प्रार्थना पत्र 22 नियम 04 ही पत्रावली में**	

उपलब्ध है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में एवेट की कार्यवाही को निरस्त कराने की प्रार्थना भी नहीं की गयी है, ताकि न्यायालय से उन्हें कोई अनुतोष प्राप्त हो सके। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार चूंकि मृतक रैस्पो0 संख्या 07 के विधिक वारिसान की तय समय सीमा में कार्यवाही कायम मुकाम नहीं करने के कारण अपील उनकी मृत्यु दिनांक 22.01.2017 के पश्चात् 90 दिवस बाद स्वतः ही एवेट हो जाती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर जरिये एवेट में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिल आर्य)
आर0ए0एस0
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर